इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2019—अग्रहायण 1, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पांच (74) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1-पांच (63) दिनांक 7 दिसम्बर, 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(I) अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"57क	0813	शुष्क इमली";

(ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स";

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-35-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-35-2017-1-पांच, (74), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-35/2017/1/V (74) In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A 3-35/2017/1/FIVE(63) dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

(i) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"57A	0813	Tamarind dried";

(ii) after S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"114C	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark";

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-34/2017/1/पांच (75) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतददवारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3/34/2017/1/पांच (81) दिनांक 27 जुलाई, 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (5) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(6) हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाईसेंसिंग पॉलिसी (HELP) या ओपेन एक्रेज लाईसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर संबंधी प्रचालन";

(ii) अनुबंध में, शर्त संख्या 1 के समक्ष, उपवाक्य (ड.) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परंतु जहां इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का विकृत के पश्चात अप्रयोज्य रूप में निपटान किया जाना है, वहां बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, अपने विकल्प पर ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य के 9 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे निस्तारण से पूर्व उक्त बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, उस उप आयुक्त, केन्द्रीय कर या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर या उप आयुक्त, राज्य कर या सहायक आयुक्त, राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त माल का आपूर्तिकर्ता आता हो, को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी विधिवत अधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उक्त माल अप्रयोज्य हो गया है और यह निपटान से पहले विकृत भी हो गया है";

2. **यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-34-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-34-2017-1-पांच, (75), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-34/2017/1/V (75) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A 3-34/2017/1/FIVE(67) dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(I) in the TABLE, in column (3), after item (5), the following item shall be inserted, namely: -

"(6) Petroleum operations or coal bed methane operations undertaken under specified contracts under the Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) or Open Acreage Licensing Policy (OALP)";

(II) in the ANNEXURE, against Condition No. 1, in clause (e), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -

"**Provided** that where the said goods so supplied are sought to be disposed of in non-serviceable form, after mutilation, the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, may at his option, pay the tax at the rate of 9 per cent. on transaction value of such goods subject to the condition that the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, produces before the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods are non-serviceable and have been mutilated for disposal.".

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-04/2019/1-पांच (76) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-04/2019/1-पांच (14) दिनांक 8 फरवरी, 2019, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) शब्द "स्वर्ण", जहां-जहां भी यह आया हों के स्थान पर शब्द, "स्वर्ण, चांदी, या प्लेटिनम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक, "शीर्षक 7108" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्याय 71" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(घ) "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।";

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-04-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-04-2019-1-पांच, (76), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-04-2019-1-V (76) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A 3-04-2019-1-V(14) dated the 8th February, 2019, namely:-

In the said notification, -

(i) for the word "gold", wherever it occurs, the words, "gold, silver, or platinum", shall be substituted;

(ii) in the opening paragraph, for the words and figures, "heading 7108", the words and figures, "Chapter 71", shall be substituted;

(iii) in the Explanation, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: —.
"(d) "Chapter" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).";

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-37/2019/1/पांच (77) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा उन सभी वस्तुओं पर, जिनकी आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए की गई हो जो कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा –

(i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और

(ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है ।

अनुबंध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्द्धन,

(2) हरित कृषि: विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त जैव विविधता और वन क्षेत्र का संरक्षण ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-37-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-37-2019-1-पांच, (77), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-37/2019/1/V (भाग) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, all the goods supplied to the Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) for execution of projects listed below in the Annexure, from whole of the Central Tax leviable thereon under section 9 of the said Act, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare certifies, namely:-

(i) the quantity and description of the goods; and

(ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects.

ANNEXURE

(1) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems,

(2) Green Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape.

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (78) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,

(3)	(4)	(5)
"(i) "होटल आवास" की आपूर्ति जिसमें प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक लेकिन सात हजार पांच सौ रुपए से कम या उसके बराबर तक प्रति इकाई प्रतिदिन या समतुल्य हो ।	6	-
(ii) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों में "रेस्तरा सेवा" की आपूर्ति	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रैडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(iii) भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड या उनके लाईसैंसियों के द्वारा किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर

जाने वाली कोई अन्य वस्तु या कोई पेय या उसके हिस्से की आपूर्ति, चाहे वह रेलगाड़ी में अथवा प्लेटफार्म पर प्रदान की जाती हों ।		भारित कर का इनपुट क्रैडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें-स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(iv) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों में "आऊटडोर कैटरिंग" की आपूर्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो निम्न से भिन्न हो: (क) "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" देने वाले, या (ख) "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित आपूर्तिकर्ता ।	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रैडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें-स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(v) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न अन्य परिसरों में परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ "आऊटडोर कैटरिंग" की ऐसे व्यक्ति द्वारा आपूर्ति जो निम्न से भिन्न हो: (क) "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" देने वाले, या (ख) "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित आपूर्तिकर्ता ।	2.5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रैडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें-स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(vi) उपर्युक्त (i) से (v) से भिन्न स्थिति में रुकने की सुविधा, खाद्य और पेय सेवाएं स्पष्टीकरण: (क) किसी भी शंका को दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) के अंतर्गत मद (ii), (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत आने वाली आपूर्ति पर कॉलम (5) में उनके समक्ष दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए कॉलम (4) के समक्ष निर्धारित राज्य कर लगाया जाएगा जो कि अनिवार्य होगा और इसकी वसूली इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से नहीं की जाएगी । (ख) इस प्रविष्टि में "विशिष्ट परिसरों" में "रेस्तरां सेवाओं" की की जाने वाली आपूर्ति भी शामिल हैं ।	9	-"

(ग) इस प्रविष्टि में "होटल आवास" जिसके प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य हो भी शामिल हैं । (घ) इस प्रविष्टि में "आऊटडोर कैटरिंग" जो कि ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो "विशिष्ट परिसरों" में "होटल की सुविधा" प्रदान करते हों या ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो 'विशिष्ट परिसरों' में अवस्थित हों, भी शामिल हैं । (ड.) इस प्रविष्टि में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ "आऊटडोर कैटरिंग" की संयुक्त आपूर्ति भी शामिल है जो कि "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" प्रदान करते हैं अथवा "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित हों ।		

(ख) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द "सेवा", के पश्चात शब्द "प्रचालकों सहित" अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iii) में शब्द "या उसके बिना", निरसित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iv) को और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और शब्द ", (iv)" को निरसित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक और शब्द ", सहित या उस " निरसित किए जाएंगे;

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (v) और (vii) को और कॉलम (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
"(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (vi), और (viiक) से भिन्न प्रचालक के बिना पट्टा या भाटक सेवाएं ।"

(झ) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (i) में और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ik) अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यापारिक सेवाएं जो कि कच्चे पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित है"	6	-",

(ञ) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द और कोष्ठक "उपर्युक्त (i)" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "उपर्युक्त (i) और (ik)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ट) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द "की सेवा", के स्थान पर शब्द "को समर्थन सेवाएं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ठ) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (2) में, संख्या "9986", के पश्चात शब्द और अंक "(कृषि, शिकार, वानिकी, फिशिंग, खनन और उपयोगिता समर्थक सेवाएं)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ड) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उपवाक्य (ग) में शब्द "उत्पादों" के पश्चात शब्द ", हीरे से भिन्न" अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ढ) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (ik) के और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ikh) सेवाएं जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	0.75	-
(ikg) सेवाएं जो कि बस की बाडी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	9	-
(ikgh) सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ik), (ikh) और (ikg) से भिन्न जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	6	-";

(ण) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्द और अंक "(ik)", के पश्चात अंक और शब्द "(ikh), (ikg) और (ikgh)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2क में, शब्द "पंजीकृत" को निरसित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (xxxi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

(xxxii) "रेस्तरां सेवा" से अभिप्राय किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या कोई पेय हो के या उसके हिस्से की आपूर्ति से है जो कि किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट जिसमें मैस, कैंटीन भी आती हैं, के द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे यह उसी परिसर में ग्रहण करने के लिए या उससे दूर ग्रहण करने के

लिए की गई हो जहां ऐसे भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तु या पेय प्रदार्थ की आपूर्ति की गई हो ।

(xxxiii) "आउटडोर कैटरिंग" की आपूर्ति से अभिप्राय किसी सेवा की या उसके हिस्से की या किसी वस्तु जो कि भोज्य प्रदार्थ हो या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या पेय हो की आपूर्ति से है जो कि किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल या अन्य आउटडोर या इनडोर समारोह में की गई हो, जो कि समारोह आधारित हैं और अवसर विशेष पर होते हैं ।

(xxxiv) "होटल आवास" से अभिप्राय होटलों, इन्स, गेस्ट हाऊसों, क्लबों, शिविर स्थलों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों जिनका प्रयोग आवास या ठहरने के लिए होता है, में व्यवस्था देकर की जाने वाली आपूर्ति जिसमें व्यवस्था के माध्यम से टाईम शेयर यूसेस राइट्स की आपूर्ति भी आती है ।

(xxxv) "घोषित टैरिफ" से अभिप्राय किसी इकाई व्यवस्था में (ठहरने के लिए किराए पर दी गई) जैसे कि फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य सुविधाओं, जैसी सभी सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभार से है लेकिन ऐसी इकाइयों के लिए प्रकाशित प्रभार पर दी जाने वाली किसी भी छूट को इसमें से अलग नहीं किया जाता है ।

(xxxvi) 'विशिष्ट परिसर' से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है जो कि ऐसे "होटल की व्यवस्था" की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो ।

(iv) इस अधिसूचना में संलग्न "अनुबंध: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना" में ,-

क. क्रम संख्या 119 से 124 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहां-जहां भी शब्द "सहित या रहित" आए हों, वहां-वहां शब्द "सहित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. क्रम संख्या 232 से 240 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहां-जहां भी शब्द "के साथ या उसके बिना" आए हों, वहां-वहां शब्द "के बिना" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-32-2017-1-पांच, (78), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No F A 3-32/2017/1/V (नौ) In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of sectionच 16 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in this department's notification No.FA3-32-2017-V(41) dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, for the entries relating thereto in column (3), (4) and (5), the following items and entries shall be substituted, namely, -

(3)	(4)	(5)
(i) Supply of 'hotel accommodation' having value of supply of a unit of accommodation above one thousand rupees but less than or equal to seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.	6	-
(ii) Supply of 'restaurant service' other than at 'specified premises'	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
(iii) Supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]

(iv) Supply of 'outdoor catering', at premises other than 'specified premises' provided by any person other than- (a) suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or (b) suppliers located in 'specified premises'.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to clause (iv)]
(v) Composite supply of 'outdoor catering' together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) at premises other than 'specified premises' provided by any person other than- (a) suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or (b) suppliers located in 'specified premises'.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to clause (iv)]
(vi) Accommodation, food and beverage services other than (i) to (v) above Explanation: (a) For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by items (ii), (iii), (iv) and (v)in column (3) shall attract state tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate as specified under this entry. (b) This entry covers supply of 'hotel accommodation' having value of supply of a unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. (c) This entry covers supply of 'outdoor catering', provided by suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or suppliers located in 'specified premises'. (d)This entry covers composite supply of 'outdoor catering' together with renting of premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organizing a function) provided by suppliers providing 'hotel accommodation' at 'specified premises', or suppliers located in 'specified premises'.	9	-"

(b) against serial number 10, in column (2), after the word "service", the words "with operators" shall be inserted;

(c) against serial number 10, in column (3), in item (iii), the words "or without" shall be omitted;

(d) against serial number 15, item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in column (4) and (5) shall be omitted;

(e) against serial number 17, in column (2), the figures and words ", with or" shall be omitted;

(f) against serial number 17, item (v) and (vii) in column (3) and the entries relating thereto in column (4) and (5) shall be omitted;

(g) against serial number 17, in column (3), in item (viii), the figures and words ", with or" shall be omitted;

(h) against serial number 21, after item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Other professional, technical and business services relating to exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both	6	-";

(i) against serial number 21, in column (3) in item (ii),for the words and brackets "(i) above" the words and brackets "(i) and (ia) above" shall be substituted;

(j) against serial number 24, in column (3), in item (ii), for the words "Service of", the words "Support services to" shall be substituted;

(k) against serial number 24, in column (2), after the numbers "9986", the words and figures "(Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities)" shall be inserted;

(l) against serial number 26, in column (3), in item (i), in clause (c), after the words "products", the figures and words ", other than diamonds," shall be inserted;

(m) against serial number 26, after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) Services by way of job work in relation to diamonds falling under chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);	0.75	-
(ic) Services by way of job work in relation to bus body building;	9	-
(id) Services by way of job work other than (i), (ia), (ib) and (ic) above;	6	-";

(n) against serial number 26, in column (3), in item (iv), after the words and figures "(ia),", the figures and words "(ib), (ic), (id)," shall be inserted;

(ii) in the paragraph 2A, the word "registered" shall be omitted;

(iii) in the 'Annexure: Scheme of Classification of Services', annexed to the notification, -

(a) against serial number 119 to 124, in column (4), for the words "with or without", wherever they occur, the word "with" shall be substituted;

(b) against serial number 232 to 240, in column (4), for the words "with or without", wherever they occur, the word "without" shall be substituted;

(...) in paragraph 4 relating to explanation, after clause (xxxi), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(xxxii) 'Restaurant service' means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied.

(xxxiii) 'Outdoor catering' means supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature.

(xxxiv) 'Hotel accommodation' means supply, by way of accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes including the supply of time share usage rights by way of accommodation.

(xxxv) 'Declared tariff' means charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.".

(xxxvi) 'Specified premises' means premises providing 'hotel accommodation' services having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच (53) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच (53) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-
"इतनी राशि थी जितने से कि वे मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ख) क्रम संख्या 9क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कक	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाली FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: फेडरेशन इंटरनेशल डी फुटबाल एसोसिएशन (FIFA) और इसके सहायक संगठनों के द्वारा या इनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित कर दे कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आने वाले समारोह से संबंधित हैं ।";

(ग) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "कम" के पश्चात शब्द "या के बराबर" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ख	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनास्पति रेशे जैसे कि कपास, फ्लैक्स, जूट आदि, नील, गैर विनिर्मित तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, काफी और चाय के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(छ) क्रम संख्या 29क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत अपने सदस्यों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं	शून्य	शून्य";

(ज) क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात शब्द "(द) बंग्ला सस्य बीमा" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में जहां-जहां शब्द और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"इतनी राशि थी जितने से कि वे मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ञ)क्रम संख्या 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82क	शीर्षक 9996	FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-42-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-42-2017-1-पांच, (79), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A-3-42/2017/1/V (भाग) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No F A-3-42/2017/1/V(53), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, in the entry in column (3), for the words and brackets, "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year", the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes them eligible for exemption from registration under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017)";

(b) after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9AA	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.";

(c) against serial number 14, in the entry in column (3), after the word 'below', the words 'or equal to' shall be inserted;

(d) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

No. F A-3-42/2017/1/V (भ9) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No F A-3-42/2017/1/V(53), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 7, in the entry in column (3), for the words and brackets, "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year", the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes them eligible for exemption from registration under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017)";

(b) after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9AA	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.";

(c) against serial number 14, in the entry in column (3), after the word 'below', the words 'or equal to' shall be inserted;

(d) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

(e) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;

(f) after serial number 24A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24B	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts and vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibres such as cotton, flax, jute etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea.	Nil	Nil"

(g) after serial number 29A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Central Armed Police Forces (under Ministry of Home Affairs) Group Insurance Funds to their members under the Group Insurance Schemes of the concerned Central Armed Police Force.	Nil	Nil";

(h) against serial number 35, in the entry in column (3), after the entry (q), the words "(r) Bangla ShasyaBima" shall be inserted;

(i) against serial number 45, in the entries in column (3), for the words and brackets "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of special category states) in the preceding financial year", wherever they occur, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes them eligible for exemption from registration under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017)";

(j) after serial number 82 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82A	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.	Nil	Nil";

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच (80) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच (59) दिनांक 07, दिसम्बर, 2018, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में -

(i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9	किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना से संबंधित कापी राइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का किसी सोंगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति को अंतरण करने या उसके उपयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति ।	म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार की सोंगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	सोंगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति, जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हों।"

(ii) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9क	किसी लेखक द्वारा अपने मूल साहित्यिक रचना से संबंधित किसी प्रकाशक को कापीराइट	लेखक	कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक: बशर्ते की इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात

	एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का अंतरण करके या उसके प्रयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा की आपूर्ति		वहां लागू नहीं होगी जहां कि,- (i) लेखक ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के तहत पंजीकरण लिया है, एवं अधिकार क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष अनुबंध I में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर, यह घोषणा की हो कि वह कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और वह ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त विकल्प को वापस वापस नहीं लेगा। (ii) लेखक प्रकाशक के समक्ष फॉर्म GST Inv-I में अपने द्वारा जारी किए गए इनवॉयस के अनुबंध-II में निर्धारित घोषणा करेगा।"

(iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	किसी बॉडी कारपोरेट को मोटर वाहन को किराए पर प्रदान की गई सेवा	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराये पर देने की सेवा पर 2.5% की दर से राज्य कर	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कर वाले भू-क्षेत्र में अव्यवस्थित हो ।"

		का भुगतान करता है तथा केवल व्यापार के समान राह में इनपुट सेवा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है।	

(iv) क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"16	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("SEBI") की सेक्युरिटीज लैंडिंग स्कीम, 1997 ("स्कीम") के अंतर्गत प्रतिभूतियों को उधार देने की सेवाएं।	लेनदार अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत या अपनी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पंजीकृत प्रतिभूति को सेबी की इस स्कीम के अंतर्गत उधार देने के उद्देश्य से किसी अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है।	देनदार ऐसा व्यक्ति जो इस स्कीम के अंतर्गत सेबी के द्वारा अनुमोदित किसी मध्यस्थ से प्रतिभूति को उधार लेता है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

अनुबंध-I

प्रपत्र

(सारणी के क्रम संख्या 9A)

(घोषणा जिसको कि, लेखक के द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए, 1.11.2019 से प्रभावी होने के लिए 31.10.2019 को या उससे पहले तथा किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले किया जाना है ।)

संदर्भ संख्या ..... तारीख .....

सेवा में,

....

....

....

(अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है)

1. लेखक का नाम
2. लेखक का पता
3. लेखक का जीएसटीआईएन

घोषणा

1. मैंने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के तहत पंजीकरण ले लिया है, और मैं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-47/2017/1/पांच (59) दिनांक 7, दिसम्बर, 2018, का क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, एसजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, राज्य कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत करने विकल्प का प्रयोग करता हूं और मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार के अनुपालन करूँगा, जैसा कि वे किसी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होते हैं;
2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के अगले वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक, कम से कम, वैध रहेगा ।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

जीएसटीआईएन .....

स्थान .....

तारीख .....

अनुबंध ।।

(घोषणा जिसे इनवॉयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है जिसने की फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर कर के भुगतान के विकल्प का चयन किया हो ।)

घोषणा

मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-47/2017/1/पांच (59) दिनांक 7, दिसम्बर, 2018, में सारणी के क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-47-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-47-2017-1-पांच, (80), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-47/2017/1/V(४०) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No F A 3-47/2017/1/V(59), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Supply of services by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like.	Music composer, photographer, artist, or the like	Music company, producer or the like, located in the taxable territory.

(ii) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
9A	Supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher.	Author	Publisher located in the taxable territory: Provided that nothing contained in this entry shall apply where, - (i) the author has taken registration

			under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), and filed a declaration, in the form at Annexure I, within the time limit prescribed therein, with the jurisdictional CGST or SGST commissioner, as the case may be, that he exercises the option to pay state tax on the service specified in column (2), under forward charge in accordance with Section 9 (1) of SGST Act, under forward charge, and to comply with all the provisions of Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option; (ii) the author makes a declaration, as prescribed in Annexure II on the invoice issued by him in Form GST Inv-I to the publisher.

(iii) after serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15.	Services provided by way of renting of a motor vehicle provided to a body corporate.	Any person other than a body corporate	Any body corporate located in the taxable territory.";

(iv) after serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"16.	Services of lending of securities under Securities Lending Scheme, 1997 ("Scheme") of Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), as amended.	Lender i.e. a person who deposits -the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorised on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the Scheme of SEBI	Borrower i.e. a person who borrows the securities under the Scheme through an approved intermediary of SEBI.";

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

Annexure I

FORM

(Declaration to be filed by an author for exercising the option to pay tax on the "supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher" under forward charge on or before 31.10.2019 for the option to be effective from 1.11.2019 *or* before the commencement of any Financial Year for the option to be effective from the commencement of that Financial Year.)

Reference No. _____ Date _____

To

_____
_____
_____
(To be addressed to the jurisdictional Commissioner)

1. Name of the author:
2. Address of the author:
3. GSTIN of the author:

Declaration

1. I have taken registration under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and I hereby exercise the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in this department's notification No. F A 3-47/2017/1/V(59), dated the 30th June, 2017, supplied by me, under forward charge in accordance with section 9 (1) of SGST Act, and to comply with all the provisions of Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017)as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both;

2. I understand that this option, once exercised, shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and shall be valid, at least, till the end of Financial Year following the year in which it is made.

Signature _____
Name _____
GSTIN _____

Place _____
Date _____

Annexure II

(Declaration to be made in the invoice by the author exercising the option to pay tax on the "supply of service by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher" under forward charge.)

Declaration

I have exercised the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in this department's notification No. No. F A 3-47/2017/1/V(59), dated the 30th June, 2017, under forward charge.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-09/2018/1/पांच (81) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-09-2018-1-पांच (13) दिनांक 25 जनवरी,2018, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"स्पष्टीकरण.–

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1.4.2019 को या उसके बाद की गई हो" ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-09-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-09-2018-1-पांच, (74), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-09/2018/1/V (81) In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No F-A3-09-2018-1-V (13), dated the 25th January, 2018, namely:-

After paragraph 1, the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation-

Nothing contained in this notification shall apply where development rights are supplied on or aftcr 01.04.2019.".

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-19/2019/1/पांच (82) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 09 की उप धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर,एतदद्वारा,इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-19/2019/1/पांच (41) दिनांक 17 मई, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"सीमेंट जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है ।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-19-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-19-2017-1-पांच, (82), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-19/2019/1/V (82) In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No F-A-3-19-2019-1-V(41), dated the 17th May, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely: -

"Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).".

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-39/2019/1/पांच (83) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 07 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, अधिसूचित करती है कि राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हों, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, यथा:-

"लाईसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो के प्रतिफल की एवज में शराब के लाईसेंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-39-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-39-2019-1-पांच, (83), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-39/2019/1/V (83) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the State Governments, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

"Service by way of grant of liquor license, against consideration in the form of license fee or application fee or by whatever name it is called."

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-29/2019/1/पांच (84) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 सितंबर,2019 को उस तारीख के रुप में, जिसको मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2019 (इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-29-2019-1-पांच (60) दिनांक 07 अगस्त,2019) के नियम 10, नियम 11, नियम 12 और नियम 26 के उपबंध प्रवृत्त होंगे,नियत करती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-29-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-29-2019-1-पांच, (84), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-29/2019/1/V (84) In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby appoints the 24th day of September, 2019, as the date on which the provisions of rules 10, 11, 12 and 26 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2019 [this department notification No. F A 3-29/2019/1/V (60) dated 7th August, 2019], shall come into force.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-24/2017/1/पांच (85) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-24 /2017 /1 /पांच (49) दिनांक 30 जून , 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क	2202 10 10	वातित जल".

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-24-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-24-2019-1-पांच, (85), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F-A-3-24-2017-1-FIVE (85) In exercise of the powers conferred under the proviso to the sub-section (1) of section 10 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A-3-24-2017-1-FIVE (49) dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the table after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

"2A.	2202 10 10	Aerated Water";

This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

क्रमांक एफ ए-3-40-2019-1-पांच (86) भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करता है कि अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3खमें विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऐसे उत्तरवर्ती मास की बीस तारीख को या उसके पहले दी जाएगी।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए कर का संदाय –उक्तनियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्व का निर्वहन पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अंतिम तारीख के, जिसको उससे उक्त विवरणी देने की अपेक्षा है, अपश्चात्, यथास्थिति, इलैक्ट्रानिक नकद खाता या इलैक्ट्रानिक जमा खाते में विकलन करके करेगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर 2019 ,से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-40-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-40-2019-1-पांच, (86), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

No. F A3-40-2019-1-V (86) Bhopal, the 22nd November 2019

In exercise of the powers conferred by section 168 of the the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from October, 2019 to March, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**– Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall deemed to have come into effect on the 9th October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-41/2019/1/पांच (87) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करती हैं ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017, के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-1** में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**त्रैमास जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।**	**प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि ।**
(1)	(2)	(3)
1	अक्टूबर, 2019 से दिसंबर, 2019	31 जनवरी, 2020
2	जनवरी, 2020 से मार्च 2020	30 अप्रैल, 2020

3. अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

4. यह अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर ,2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-41-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-41-2019-1-पांच, (87), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-41/2019/1/V (हिन्दी) In exercise of the powers conferred by section 148 of Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1**under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	October, 2019 to December, 2019	31st January, 2020
2	January, 2020 to March, 2020	30th April, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall deemed to have come into effect on the 9th October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-42/20191/पांच (९९) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और जिन्होंने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के उप नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन देय तारीख के पहले वार्षिक विवरणी नहीं दी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के संबंध में ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे कि उक्त व्यक्तियों को उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी देने का विकल्प होगा :

परंतु उक्त विवरण को, यदि देय तारीख के पहले नहीं दी गई है, देय तारीख पर दी गई समझा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर ,2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-42-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-19-2017-1-पांच, (88), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

No. F A3-42-2019-1-V (88) Bhopal, the 22nd November 2019

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed two crore rupees and who have not furnished the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) before the due date, as the class of registered persons who shall, in respect of financial years 2017-18 and 2018-19, follow the special procedure such that the said persons shall have the option to furnish the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules:

Provided that the said return shall be deemed to be furnished on the due date if it has not been furnished before the due date.

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 9th October, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए 3-43/2019/1/पांच (९७) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : -

संशोधन

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझे जायेंगे ।

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21क में,-

(क) उपनियम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

""**स्पष्टीकरण**.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, " "कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा"" से यह अभिप्रेत होगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर कर प्रभार नहीं करेगा।"";

(ख) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

""(5) जहां रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित हुआ है, वहाँ निलंबन की अवधि के दौरान और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान किए गए प्रदायों के संबंध में धारा 31 की उपधारा (3) का खंड (क) और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे।"।

3. उक्त नियम के नियम 36 में, उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

""(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड नहीं किए गए हैं, उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपलब्ध पात्र प्रत्यय के 20% से अधिक नहीं होगा जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड किए गए हैं।"।

4. उक्त नियम के नियम 61 में, -

(क) उपनियम (5) के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात: -

" "(5) जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** या धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर -2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है, वहाँ धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसी रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, वहाँ ऐसा व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर -3 में** विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।" ";

(ख) उपनियम (6) का, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 83क में, उपनियम (6) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात: -

""(i) नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित है, उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित है।"";

6. उक्त नियम के नियम 91 में, -

(क) उपनियम (3) में, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, "संदाय आदेश जारी करेगा और"" शब्दों के पश्चात " "एक समेकित संदाय सूचना के आधार पर"" शब्दों को अन्तः स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात, 24 सितम्बर,2019 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

" "(4) राज्य सरकार उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित संदाय सूचना पर आधारित प्रतिदाय संवितरित करेगी।"";

7. उक्त नियम के नियम 97 में, -

(क) उपनियम (7) के पश्चात, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

""(7क) समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिये, प्रत्येक वर्ष की निधि में प्रत्यय की गई रकम का 50% बोर्ड को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उपभोक्ता मामला विभाग की उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता प्रति वर्ष पच्चीस करोड़ रुपये से कम नहीं है।"";

(ख) उपनियम (8) में, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियम के नियम 117 में, -

(क) उपनियम (1क) में, " "31 मार्च,2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर " "31 दिसम्बर, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

(ख) उपनियम (4) में, खंड (ख) के उपखंड (iii) के परंतुक में "30 अप्रैल, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 जनवरी, 2020" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

9. उक्त नियम के नियम 142 में,

(क) उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

""(1क) उचित अधिकारी कर, ब्याज और शास्ति से प्रभार्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पूर्व उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग क** में संसूचित करेगा।"";

(ख) उपनियम (2) में, "अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य रकम"" शब्दों के पश्चात " ,चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चय पर या, उपनियम (1क) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा यथा संसूचित," शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तः स्थापित किए जाएँगे;

(ग) उपनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

""(2क) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित रकम का भागिक संदाय किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरुद्ध कोई निवेदन फ़ाइल करने का इच्छुक है, वहाँ वह ऐसा निवेदन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग ख** में कर सकेगा।""।

10. उक्त नियम में, **प्ररूप जीएसटी -डीआरसी- 01** के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी -डीआरसी- 01क

धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा संदेय अभिनिश्चित कर की सूचना

[नियम 142 (1क) देखें]

भाग क

सं.: तारीख:

मामला आईडी सं.

सेवा में,

जीएसटीआईएन.....

नाम.....

पता.....

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा *73(5)*/धारा *74(5)*के अधीन दायित्व की सूचना – से संबंधित

कृपया उपरोक्त कार्यवाही का संदर्भ लें। इस संदर्भ में, उपलब्ध जानकारी के निबंधनों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा अभिनिश्चित उक्त मामले के संदर्भ में धारा 73 (5)/74(5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर /ब्याज /शास्ति की रकम नीचे दिए गए अनुसार है :

अधिनियम	अवधि	कर			
सीजीएसटी अधिनियम					
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					
कुल					

आधार और परिमाणीकरण नीचे दिया गया/संलग्न है:

आपको सलाह दी जाती है कि ..... तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

आपको सलाह दी जाती है कि ..... तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज और धारा 74(5) के अधीन शास्ति की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चिय के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करना चाहते हैं तो उसे इस प्ररूप के भाग ख में .....तक प्रस्तुत किया जाए ।

उचित अधिकारी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

संलग्नक अपलोड करें

भाग ख

कारण बताओ नोटिस के जारी होने के पूर्व संदाय के लिए संसूचना का जवाब

[नियम 142 (2क) देखें]

सं: तारीख:

सेवा में,

उचित अधिकारी,

शाखा(विंग)/क्षेत्राधिकार ।

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा *73(5)*/धारा *74(5)*के अधीन सूचित दायित्व के उत्तर में संदाय/निवेदन – से संबंधित

कृपया मामला आईडी ..... के संबंध में **संसूचना** आईडी.....का संदर्भ लें, जिसके द्वारा धारा 73(5) / 74(5) के अधीन यथा अभिनिश्चित संदेय कर का दायित्व सूचित किया गया था ।

इस संबंध में,

क. यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व को..... रुपए के विस्तार तक..... ..... के माध्यम से भागिक रूप से उन्मोचित कर दिया गया है और शेष दायित्व के संबंध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है:

या

ख. उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन नीचे दिया गया /संलग्न है:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम.....

जीएसटीआईएन.....

पता.....

संलग्नक अपलोड करें"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ ए-3-43-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-19-2017-1-पांच, (89), दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2019

No. F A 3-43/2019/1/V (89) In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

AMENDMENT

Save as otherwise provided in these rules, they shall deemed to have come into effect on the date of 9th October, 2019.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21A,-

(a) in sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.**-For the purposes of this sub-rule, the expression "shall not make any taxable supply" shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and, accordingly, not charge tax on supplies made by him during the period of suspension.";

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) Where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 31 and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply.".

3. In the said rules, in rule 36, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37, shall not exceed 20 per cent. of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes the details of which have been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37.".

4. In the said rules, in rule 61,-

(a) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, with effect from the 1st July, 2017 namely:-

"(5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 or in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended, the return specified in sub-section (1) of section 39 shall, in such manner and subject to such conditions as the Commissioner may, by notification, specify, be furnished in **FORM GSTR-3B** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that where a return in **FORM GSTR-3B** is required to be furnished by a person referred to in sub-rule (1) then such person shall not be required to furnish the return in **FORM GSTR-3**.";

(b) sub-rule (6) shall be omitted with effect from the 1st July, 2017.

5. In the said rules, in rule 83A, in sub-rule (6), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule is required to pass the examination within the period as specified in the second proviso of sub-rule (3) of the said rule.".

6. In the said rules, in rule 91, -

(a) in sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, after the words "application for refund", the words "on the basis of a consolidated payment advice:" shall be inserted;

(b) after the sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The State Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (3).".

7. In the said rules, in rule 97, -

(a) after sub-rule (7), with effect from the 1st July, 2017, the following sub-rule shall be inserted, namely,-

"(7A) The Committee shall make available to the Board 50 per cent. of the amount credited to the Fund each year, for publicity or consumer awareness on Goods and Services Tax, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty-five crore rupees per annum.";

(b) in sub-rule (8), with effect from the 1st July, 2017, clause (e) shall be omitted.

8. In the said rules, in rule 117, -

(a) in sub-rule (1A) for the figures, letters and word "31st March, 2019", the figures, letters and word "31st December, 2019" shall be substituted.

(b) in sub-rule (4), in clause (b),in sub-clause (iii), in the proviso for the figures, letters and word "30th April, 2019", the figures, letters and word "31st January, 2020" , shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 142, -

(a) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The proper officer shall, before service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty, under sub-section (1) of Section 73 or sub-section (1) of Section 74, as the

case may be, shall communicate the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer, in **Part A of FORM GST DRC-01A.**";

(b) in sub-rule (2), after the words "in accordance with the provisions of the Act", the words, figures and brackets ", whether on his own ascertainment or, as communicated by the proper officer under sub-rule (1A)," shall be inserted;

(c) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) Where the person referred to in sub-rule (1A) has made partial payment of the amount communicated to him or desires to file any submissions against the proposed liability, he may make such submission in **Part B of FORM GST DRC-01A.**".

10. In the said rules, after **FORM GST DRC-01,** the following form shall be inserted, namely:-

"FORM GST DRC-01A

Intimation of tax ascertained as being payable under section 73(5)/74(5)

[See Rule 142 (1A)]

Part A

No.: Date:

Case ID No.

To

GSTIN.....

Name.....

Address.....

Sub.: Case Proceeding Reference No.....- Intimation of liability under section 73(5)/section 74(5) – reg.

Please refer to the above proceedings. In this regard, the amount of tax/interest/penalty payable by you under section 73(5) / 74(5) with reference to the said case as ascertained by the undersigned in terms of the available information, as is given below:

Act	Period	Tax			
CGST Act					
SGST/UTGST Act					
IGST Act					
Cess					
Total					

The grounds and quantification are attached / given below:

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above alongwith the amount of applicable interest in full by ....., failing which Show Cause Notice will be issued under section 73(1).

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above alongwith the amount of applicable interest and penalty under section 74(5) by ....., failing which Show Cause Notice will be issued under section 74(1).

In case you wish to file any submissions against the above ascertainment, the same may be furnished by..... in Part B of this Form

Proper Officer

Signature.....

Name.....

Designation.....

Upload Attachment

Part B

Reply to the communication for payment before issue of Show Cause Notice
[See Rule 142 (2A)]

No.: Date:

To
Proper Officer,
Wing / Jurisdiction.

Sub.: Case Proceeding Reference No.....- Payment/Submissions in response to liability intimated under Section 73(5)/74(5) – reg.

Please refer to Intimation ID..... in respect of Case ID.....vide which the liability of tax payable as ascertained under section 73(5) / 74(5) was intimated.

In this regard,

A. this is to inform that the said liability is discharged partially to the extent of Rs. ..... through .....and the submissions regarding remaining liability are attached / given below:

OR

B. the said liability is not acceptable and the submissions in this regard are attached / given below:

Authorised Signatory
Name.....
GSTIN.....
Address.....

Upload Attachment".

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.